

	IG Prisons	1
	Project Director, Bihar AIDS Society	1
	Additional Member, Board of Revenue	1
	Special/Additional/Joint/Deputy Secretary	40
	District Magistrate & Collector/Addl.D.M	38
	Registrar, Cooperative Societies	1
	Secretary, Board of Revenue	1
	State Transport Commissioner	1
	Labour Commissioner	1
	Sugar Cane Commissioner	1
	CEO cum Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation	1
	Commissioner, MNREGA	1
	Excise Commissioner-cum-IG Registration	1
	Directors	19
1.	Total Senior Duty Posts	186
2	CDR not exceeding 40% of item 1 above	74
3	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	46
4	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	6
5	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	30
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above	104
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	238
	Total Authorized Strength	342

[No. 11031/9/2013- AIS-II (A)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note (1) :—Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Bihar Cadre was 326.

Note (2) :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Bihar Cadre by the following GSR Nos. and dates:

Sl.No.	GSR Nos.	DATE	Sl.No.	GSR Nos.	DATE
1	3059	12.12.56	11	342(E)	29.03.94
2	481	30.04.60	12	319(E)	31.03.95
3	1147	14.08.65	13	739(E)	31.12.97
4	349	16.03.67	14	209	31.10.98
5	375(E)	26.08.71	15	429	18.12.04
6	60(E)	31.01.75	16	170(E)	02.03.07
7	649(E)	27.11.79	17	279(E)	10.04.07
8	106	02.02.85	18	898(E)	30.12.2008
9	1007	31.12.88	19.	188(E)	24.03.2009
10	393	30.06.90			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 47(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, बिहार सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

“अनुसूची II, भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘बिहार’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“बिहार

मुख्य सचिव	80,000/- रू. (नियत)
अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड	80,000/- रू. (नियत)
विकास आयुक्त	80,000/- रू. (नियत)
कृषि उत्पादन आयुक्त	80,000/- रू. (नियत)
मुख्य सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	80,000/- रू. (नियत)

प्रधान सचिव(वित्त)	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव(गृह)	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, जल संसाधन	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, उद्योग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशास और ग्रामीण विकास, पटना संस्थान	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, जीएडी	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक

	वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
अध्यक्ष, बिहार चयन आयोग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
विभागीय जांच आयुक्त, जीएडी	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
राज्यपाल के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
सरकार के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, संसदीय कार्य विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, कृषि विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सदस्य, राजस्व बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
राज्यपाल के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
मुख्य मंत्री के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, ऊर्जा विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
प्रभागीय आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, भवन निर्माण विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, पीएचई विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
लोकायुक्त के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, पंजीयक, उत्पाद-शुल्क और निषेध विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
आईजी कारावास	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
परियोजना निदेशक, बिहार एड्स समिति	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
राजस्व बोर्ड के अपर सदस्य	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.

(ख) " अनुसूची II- भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में बिहार शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव

295 GI/14-6

जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर/अपर डीएम
पंजीयक, सहकारी समितियां
सचिव, राजस्व बोर्ड
राज्य परिवहन आयुक्त
श्रम आयुक्त
गन्ना आयुक्त
सीईओ सह नगरपालिका आयुक्त, पटना नगर निगम
आयुक्त, एमएनआरईजीए
उत्पाद-शुल्क आयुक्त-सह-आईजी पंजीकरण
निदेशक

[सं.11031/9/2013-अ.भा.से.-II(ख)"]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी :-मुख्य नियम 20.03.2008 की जी.एस.आर. 213 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जी.एस.आर. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जी.एस.आर. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, जी.एस.आर. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, जी.एस.आर. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, जी.एस.आर. सं. 72(अ) दिनांक 10.02.2010, जी.एस.आर. सं. 102(अ) दिनांक 25.2.2010, जी.एस.आर. सं. 191(अ) दिनांक 12.03.2010, जी.एस.आर. सं. 298(अ) दिनांक 08.04.2010, जी.एस.आर. सं. 397(अ) दिनांक 11.05.2010, जी.एस.आर. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, जी.एस.आर. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 434(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010, जी.एस.आर. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, जी.एस.आर. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, जी.एस.आर. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, जी.एस.आर. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, जी.एस.आर. सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, जी.एस.आर. सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, जी.एस.आर. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, जी.एस.आर. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, जी.एस.आर. सं. 55(अ) दिनांक 31.01.2013, जी.एस.आर. सं. 104(अ) दिनांक 18.02.2013, जी.एस.आर. सं. 602(अ) दिनांक 06.09.2013 और जी.एस.आर. सं. 604(अ) दिनांक 06.09.2013 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2014

G.S.R. 47(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2014.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In "Schedule II-Part A" posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'Bihar' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely :